न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 163/2018 **दायर दिनांकः 11/09/2018**

उनवान

1. बिन्टूलाल मीणा आयु 21 वर्ष पुत्र रामकरण मीणा जाति मीणा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 26/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 214 का ख0नं0 1090 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 213 का ख0नं0 971 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1086/1129 का रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.87 है0 एवं खाता संख्या 212 का ख0नं0 1091 का रकबा 0.75 है0 आराजी वादी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी क्रमशः खाता संख्या 212, 213, 214 सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण दर्ज हुआ। उसमें सहवन से वादी का नाम बिट्टूलाल दर्ज हो गया है। क्योंकि वादी को गांव में बिट्टूलाल भी कहते है। वादी के समस्त प्रकार के दस्तावेजात बिन्टूलाल के नाम से ही है। इसलिये वादी खाते मे राजस्व रिकार्ड मे भी बिट्टूलाल के बजाय बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा दर्ज करवाने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत वादी अपने हिस्से की आराजी पर बैंक से ऋण लेने गया तो खाते में वादी का नाम बिट्टूलाल मीणा दर्ज होने से एवं अन्य दस्तावेजात में नाम बिन्टूलाल मीणा होने से वादी ाके अपनी आराजी पर कृषि ऋण नही मिला। तब वादी को खाते में नाम बिन्टूलाल मीणा की जगह बिट्टूलाल मीणा होने की जानकारी मिली। इस कारण वादी उक्त नाम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दिनांक 05.09.2018 को वादी अपना नाम खाते मे दुरूस्त करवाने हेतु अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र आदि लेकर प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने खाते मे नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर

दिया और माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। वादी का नाम खाते में बिट्टूलाल मीणा होने से एवं अन्य दस्तावेजात में नाम बिन्टूलाल मीणा होने से वादी को अपनी आराजी में प्राप्त चलेआ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय खाते में वादी का नाम बिट्टूलाल मीणा के स्थान पर बिन्टूलाल मीणा दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। यदि वादी का नाम खातेमें दुरूस्त किया जाकर बिन्टूलाल मीणा दर्ज नही किया गया तो वादी को अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बार मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में खाते मे अपना नाम बिट्टूलाल मीणा के स्थान पर बिन्दूलाल मीणा दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार व अंतिम बार के.सी.सी. ऋण लेने हेतु जमीन की नकले निकलवाने पर नाम गलत दर्ज होने की जानकारी मिलने पर प्रतिवादी के पास दिनांक 05.09.2018 को नाम दुरूस्त करवाने हेतु जाने पर व प्रतिवादी द्वारा मना करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निम्न आशय डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें किः—

(अ) प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम बिट्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा के स्थान पर बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन करवा दें।

(ब) वादी का नाम बिट्टूलाल मीणा की जगह बिन्टूलाल मीणा घोषित किया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। जबाव दावा दिया जाना आवश्यक नही है। जबाव दावा प्रतिवादी बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 के बयान लेखबद्ध किये गये उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया वादी का नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विद्यालय का जन्म प्रमाण पत्र आदि में भी वादी का सही नाम बिन्टूलाल मीणा दर्ज है। अतः जमाबन्दी खाता संख्या 214 का ख0नं0 1090 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 213 का ख0नं0 971 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1086/1129 का रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.87 है0 एवं खाता संख्या 212 का ख0नं0 1091 का रकबा 0.75 है0 में बिट्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण के स्थान पर बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भैंसड़ा की खाता संख्या 214 का ख0नं0 1090 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 213 का ख0नं0 971 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1086/1129 का रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.87 है0 एवं खाता संख्या 212 का ख0नं0 1091 का रकबा 0.75 है0 में खातेदार बिट्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 03.06.2019 आधार कार्ड, परिचय पत्र चुनाव, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड विधालय का प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण दर्ज है। तथा जवाब प्रतिवादी ने भी वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 214 का ख0नं0 1090 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 213 का ख0नं0 971 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1086/1129 का रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.87 है0 एवं खाता संख्या 212 का ख0नं0 1091 का रकबा 0.75 है0 में खातेदार बिट्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण के स्थान पर सही नाम बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 163/2018 **दायर दिनांकः 11/09/2018**

उनवान

1. बिन्टूलाल मीणा आयु 21 वर्ष पुत्र रामकरण मीणा जाति मीणा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू..............X..............................

बहाजिर :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह की खाता संख्या 214 का ख0नं0 1090 रकबा 0.28 है0 खाता संख्या 213 का ख0नं0 971 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1086/1129 का रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.87 है0 एवं खाता संख्या 212 का ख0नं0 1091 का रकबा 0.75 है0 में खातेदार बिट्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण के स्थान पर सही नाम बिन्टूलाल मीणा पुत्र रामकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.10.21 15:42:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: